

C.C.
1

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—


05-12-2013

आवेदक श्री विनोद कुमार, पिता-स्व० मथुरा सिंह, सा०-कुरकुरी, पो०+थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-446/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि-12.11.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि-05.12.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि को सुनवाई स्थगित करते हुए दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक-05.12.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे खेती करते हैं एक शस्त्र अनुज्ञप्ति के रहते अन्य शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के संबंध में पृच्छा किए जाने पर कोई कारण नहीं बातया गया। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-927/गो०, दिनांक-20.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ के पत्रांक-2825/12, दि०-16.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को प्रसंगाधीन ज्ञापांक के माध्यम से अग्रसारित एवं अनुशंसित कर भेजी गई है, जिसे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा भी अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक खेती करते हैं तथा प्रखण्ड उप प्रमुख हैं। उनके पास पूर्व से एक डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति सं०-12/88 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कांडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :




परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में उन्हें एक डी०बी०बी०एल गन की अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई येथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री विनोद कुमार, पिता-स्व० मथुरा सिंह, सा०-कुरकुरी, पो०+थाना-फूलवारीशरीफ, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।